राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
47/2022	07.07.2022	07.10.2025

बउनवान

1. घमण्डीराम पुत्र किशनलाल, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. छुट्टनलाल पुत्र किशनलाल, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. रामखिलाडी पुत्र किशनलाल, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. हरफूल पुत्र किशनलाल, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
   1/1. छोटी देवी पत्नी हरफूल, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
   1/2. हरिराम पुत्र हरफूल, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
   1/3. ओमप्रकाश पुत्र हरफूल, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
   1/4. सुमन पुत्री हरफूल, निवासी जादू का बास, तहसील कठूमर, अलवर।
   1/5. माया पुत्री हरफूल पत्नी बनवारी, निवासी जादू का बास, तहसील कठूमर, अलवर।
   1/6. सीमा पुत्री हरफूल पत्नी सीताराम, निवासी गोभलाडू की ढाणी, तहसील बसवा, दौसा।
2. शाखा प्रबंधक सिंडीकेट बैंक, शाखा मण्डावर, जिला दौसा।
3. उपपंजीयक मण्डावर, दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री प्रदीप चौधरी।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री जितेन्द्र गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 1363 रकबा 0.43 हैक्टे., 1435 रकबा 0.25 हैक्टे., 1436 रकबा 0.06 हैक्टे., 1438 रकबा 0.10 हैक्टे., 1438/1594 रकबा 0.04 हैक्टे., 1439 रकबा 0.28 हैक्टे., 1441 रकबा 0.40 हैक्टे., 1442 रकबा 0.02 हैक्टे., 1443 रकबा 0.29 हैक्टे., 264 रकबा 0.09 हैक्टे., 627 रकबा 0.43 हैक्टे., 886 रकबा 0.02 हैक्टे., 887 रकबा 0.20 हैक्टे., 888 रकबा 0.06 हैक्टे., 889 रकबा 1.03 हैक्टे., 890 रकबा 0.74 हैक्टे., 893 रकबा 0.12 हैक्टे., 894 रकबा 0.09 हैक्टे., 946 रकबा 0.54 हैक्टे., कुल किता 19 कुल रकबा 5.19 हैक्टे. ग्राम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हल्दैना, पटवार हल्का हल्दैना, तहसील मण्डावर में स्थित है। विवादित आराजीयात में सायलान का 3/4 भाग तथा शेष 1/4 भाग गैरसायल सं. 01 का है तथा इसी हिस्सानुसार सायलान व गैरसायल सं. 1 उक्त आराजी पर काबिज रह कर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं। आराजीयात सायलान व गैरसायल सं. 1 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। दिनांक 20.06.2022 को अब इस समय हुई बरसात में हम सायलान अपने हिस्से की एवं कब्जेशुदा आराजी में बुवाई करने हेतु आराजी पर गये तो वहॉ पर गैरसायल सं. 1 अपने परिजनों के साथ मौके पर आ गया और कहने लगा कि तुम इस खेत को नहीं बो सकते, अपने सभी इन खेतों का पुनः विभाजन करेंगे। तुम्हारे पास तुम्हारे हिस्से से अधिक भूमि है। तब सायलान ने गैरसायल सं. 1 से कहा कि हमारे पास हमारे हिस्से की जितनी ही भूमि है तथा उक्त बाहमी विभाजन आज से करीब 20 वर्ष का हुआ है। फिर आप ऐसा क्यों विवाद करते हो। अगर आपके किसी भी प्रकार का भ्रम है तो तहसील कार्यालय मण्डावर में चलकर तहसीलदार से उक्त आराजी का विधिवत विभाजन करवा लेते है तथा विधिवत विभाजन अपने–अपने हिस्से के अनुसार होने के उपरान्त अपने अपने हिस्से की विधिवत पैमाईश भी करवा लेगें जिससे जिसके पास भूमि अधिक होगी उसे छोडनी पडेगी लेकिन वह इस बात पर तैयार नहीं हुआ तथा कहने लगा कि मेरे तो लट्ठ में ताकत है, मैं किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं कराउंगा तथा मेरी पसंद की आराजी को मेरी पसंद से ही बोउंगा तथा तुम जो चाहे सो कर लो। गैरसायल सं. 1 द्वारा दी गई उक्त धमकी से सायलान को अपूरणीय क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। दावा के लिये विनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2022 को सायलान की कब्जेशुदा आराजी में उन्हें बोने जोतने में व्यवधान पैदा करने तथा उक्त आराजी को बाहमी तकास्मा के अनुसार नहीं बोने देने की धमकी दिये जाने से तथा बोई गई फसल को बर्बाद करने की धमकी दिये जाने से बमुकाम हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में पैदा हुई है। सायलान की कब्जे काश्त की आराजी में अप्रार्थी द्वारा दखलन्दाजी करने की धमकी दी है तथा उसने उक्त आराजी का मनबंट से हुये बंटवारा को नहीं मान कर अपनी मर्जी से विभाजन करने की धमकी दी है जिससे अप्रार्थी अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो हम प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी। लिहाजा अपूर्णीय क्षति का प्रश्न सायलान के पक्ष में साबित है। सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस पूर्णतया साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में है। अतः अर्ज है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस कदर से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात में सायलान के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा नहीं करे और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से करावें तथा अप्रार्थी अपने हिस्से को भी बिना विधिवत तकास्मा कराये किसी भी व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल नहीं करे, मौका व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 07.07.2022 को अन्तरिम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 1363, 1435, 1436, 1438, 1438/1594, 1439, 1441, 1442, 1443, 264, 627, 886 से 890, 893, 894, 946 के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

4. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि खातेदारान ने आपसी सहमति से बाहमी तौर पर बॅटवारा कर रखा है तथा उसी समय खातेदारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। गैरसायल द्वारा दिनांक 20.06.2022 को या कभी भी सायलान को धमकी नहीं दी और ना ही विभाजन करवाने से इन्कार किया। सायलान अपने हिस्सा की आराजी पर काबिज काश्त है, इसलिये उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं है। सायलान द्वारा गैरसायल के विरूद्ध झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। सायलान को गैरसायल द्वारा दिनांक 20.06.2022 को या कभी भी कोई धमकी नहीं दी, इसलिये सायलान को गैरसायल के खिलाफ कोई विनाय दावा पैदा नहीं होता है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सायलान अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है तथा उनको गैरसायल द्वारा कोई धमकी नहीं दी गयी। इसलिये सायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। इसलिये अपूर्तनीय क्षति का तथ्य सायलान के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसमें सायलान अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, उनका कोई प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही सायलान के पक्ष में साबित है। सायलान एवं गैरसायल की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, पूर्वजों के समय से बाहमी तौर पर विभाजन कर अपना–अपना अलग अलग हिस्सा बांट कर अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज–काश्त व उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र गलत मनगढन्त तथ्यों के आधार पर गैरसायल को हैरान व परेशान करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया है जो मय कॉस्ट खारिजयोग्य है। सायलान व गैरसायल नं. 1 वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है। इसलिये सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में साबित नहीं होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र मय कॉस्ट फरमाया जावे।

5. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार, प्रार्थी विवादित आराजी का दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। साथ ही इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने या नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हल्दैना, पटवार हल्का हल्दैना, तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजी खसरा 1363, 1435, 1436, 1438, 1438/1594, 1439, 1441, 1442, 1443, 264, 627, 886 से 890, 893, 894, 946 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 07.07.2022 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें।पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)